लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था0–4 / सी / अनु0नियु0 / 2018 / 2232 भोपाल,दिनांक 25/07/18

प्रति,

कु. राजेश्वरी भोयर
पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश भोयर,
निवासी ग्राम पोस्ट तहसील किरनापुर,
बालाघाट जिला बालाघाट,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में अभिलेखों की पूर्ति करने विषयक ।

विषयांकित प्रकरण में लेख है, कि आपका अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण कलेक्टर जिला बालाघाट / जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट से प्राप्त हुआ था । लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर गठित समिति के परीक्षण उपरांत आपके प्रकरण में निम्नांकित कमी पाई गई है :–

1 दिवंगत शासकीय सेवक के सेवापुस्तिका अभिलेख एवं नामीनेशन प्रति संकुल प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करें ।

2 आवेदिका कु राजेश्वरी अविवाहित होने का शपथ पत्र की प्रति संकुल प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करें ।

3 आवेदिका के भाई श्री कपिल भोयर शासकीय सेवक अथवा निगम, मण्डल परिषद्,आयोग आदि में न होने का शपथ पत्र संकुल प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करें ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि 03 बिन्दुओं की जानकारी 07 दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0, गौतम नगर, भोपाल कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला बालाघाट के माध्यम से उपलब्ध करावें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार विचार किया जा सकें । जानकारी भेजने में विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगी ।

संचालक द्वारा अनुमोदित

(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0क्रमांक / स्था–4 / सी / अनु.नियु. / 2018 / 2233 भोपाल, दिनांक 25/07/18

प्रतिलिपिः–

1 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।

2 जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट म0प्र0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त जानकारी शीध्र भेजने हेतु संबंधित को अवगत करावें ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश